

AAVAS FINANCIERS LIMITED

क्न योर कस्टमर ' और 'एंटी -मनी लॉन्ड्रिंग के उपाय' पर नीति

1. परिचय एवं नियामक ढांचा

(i) Aavas Financiers Limited (**“कंपनी/Aavas”**) एक आवास वित्त कंपनी है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित है तथा नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के पर्यवेक्षण में कार्य करती है। तदनुसार, यह अपने ग्राहक को जानें (KYC) और धन शोधन निरोधक (AML) नीति (**“नीति”**) समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित कानूनों, नियमों और नियामकीय निर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई है:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अपने ग्राहक को जानें) निर्देश, 2025, जो आवास वित्त कंपनियों (HFCs) (**“RBI मास्टर डायरेक्शन”**) पर लागू हैं,
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (**“PMLA”**),
- धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (**“PML नियम”**), और
- RBI, NHB और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी लागू परिपत्र, अधिसूचनाएं, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण।

(ii) इस नीति का उद्देश्य है:

- यह सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक ग्राहक पहचान प्रक्रिया (**“CIP”**) / ग्राहक उचित सावधानी (**“CDD”**) / उन्नत उचित सावधानी (**“EDD”**) उपायों का पालन किया जाए।
- ग्राहक की उचित सावधानी, जोखिम प्रबंधन, अभिलेख संधारण और रिपोर्टिंग दायित्वों के प्रति कंपनी के दृष्टिकोण को दर्शाना।
- कंपनी को जानबूझकर या अनजाने में, धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण या प्रसार वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किए जाने से रोकना।
- कंपनी को अपने ग्राहकों और उनके वित्तीय लेन-देन को समझने में सक्षम बनाना।
- उचित जोखिम-आधारित नियंत्रण और उचित सावधानी के उपायों को स्थापित करना।
- लागू नियामकीय और वैधानिक शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना।

(iii) इस नीति को Aavas Financiers Limited के **निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।**

(iv) NHB/ RBI/ या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी वर्तमान और भविष्य के परिपत्र / निर्देश / दिशानिर्देश / मार्गदर्शन नोट कंपनी की KYC AML नीति के लिए मार्गदर्शक बल होंगे और वे इस नीति की सामग्री के ऊपर मान्य होंगे।

2. परिभाषाएं

इस नीति में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें RBI मास्टर डायरेक्शन में समय-समय पर संशोधित रूप में दिया गया है।

(i) **‘अधिनियम’ और ‘नियम’** से अभिप्राय क्रमशः धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 तथा उनके संशोधनों से है।

(ii) 'लाभार्थी स्वामी (BO)':

- a) जहां **ग्राहक एक कंपनी है**, वहां BO वह स्वाभाविक व्यक्ति होंगे, जो अकेले या मिलकर, या एक या अधिक कानूनी इकाइयों के माध्यम से, कंपनी में नियंत्रक स्वामित्व हित रखते हैं या अन्य माध्यमों से नियंत्रण का प्रयोग करते हैं।

स्पष्टीकरण: इस उप-खंड के उद्देश्य के लिए-

- 'नियंत्रक स्वामित्व हित' का अर्थ कंपनी के अंशों या पूंजी या लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व / अधिकार से है।
- 'नियंत्रण' में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनकी अंशधारिता या प्रबंधन अधिकार या अंशधारक समझौतों या मतदान समझौतों के आधार पर नियंत्रण भी शामिल है।

- b) जहां **ग्राहक एक साझेदारी फर्म है**, BO वह स्वाभाविक व्यक्ति होंगे, जो अकेले या मिलकर, या एक या अधिक कानूनी इकाइयों के माध्यम से, साझेदारी की पूंजी या लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व / अधिकार रखते हैं या अन्य माध्यमों से नियंत्रण का प्रयोग करते हैं।

स्पष्टीकरण: इस उप-खंड के उद्देश्य के लिए, 'नियंत्रण' में प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा।

- c) जहां **ग्राहक एक गैर-निगमित संघ या व्यक्तियों का समूह है**, वहां BO वह स्वाभाविक व्यक्ति होंगे, जो अकेले या मिलकर, या एक या अधिक कानूनी इकाइयों के माध्यम से, गैर-निगमित संघ या व्यक्तियों के समूह की संपत्ति या पूंजी या लाभ के 15 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व / अधिकार रखते हैं।

स्पष्टीकरण: 'व्यक्तियों का समूह' शब्द में सोसाइटी भी शामिल हैं। जहां ऊपर (a), (b) या (c) के तहत कोई भी स्वाभाविक व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, वहां BO वह संबंधित प्राकृतिक व्यक्ति होगा जो वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारी का पद में कार्यरत है।

- d) जहां **ग्राहक एक ट्रस्ट है**, वहां BO की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में 10 प्रतिशत या उससे अधिक हित रखने वाले लाभार्थियों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य स्वाभाविक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी।

(iii) 'प्रमाणित प्रति' प्राप्त करने का अर्थ, आधार नंबर के कब्जे के प्रमाण की प्रति (जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता) या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किसी भी अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ की मूल दस्तावेज़ के साथ तुलना करना होगा और कंपनी का एक अधिकृत अधिकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार उस प्रति पर इस तुलना का अभिलेख दर्ज करेगा। यह प्रावधान किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों (NRIs) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) के मामले में, जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 {FEMA 5(R)} में परिभाषित है, विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है:

- भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी,
- वे विदेशी बैंकों की शाखाएं, जिनके साथ भारतीय बैंकों के बैंकिंग संबंध हैं,
- विदेश में नियुक्त नोटरी पब्लिक,
- न्यायालय के मजिस्ट्रेट,
- न्यायाधीश,
- उस देश में स्थित भारतीय दूतावास / महावाणिज्य दूतावास, जहां अनिवासी ग्राहक निवास करता है।

(iv) 'सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR)' से आशय नियमों के नियम 2(1) के अंतर्गत परिभाषित उस इकाई से है, जो किसी ग्राहक के KYC अभिलेख को डिजिटल रूप में प्राप्त करने, संग्रहित करने, सुरक्षित रखने तथा पुनः प्राप्त करने का कार्य करती है।

(v) 'ग्राहक' से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो कंपनी के साथ किसी वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में संलग्न है, तथा इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जिसकी ओर से वह व्यक्ति, जो उक्त लेनदेन या गतिविधि में संलग्न है, कार्य कर रहा है।

(vi) 'ग्राहक उचित सावधानी (CDD)' से आशय ग्राहक तथा लाभार्थी स्वामी की पहचान और सत्यापन से है, जो विश्वसनीय एवं स्वतंत्र पहचान स्रोतों का इस्तेमाल करके किया जाता है।

स्पष्टीकरण: CDD में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- ग्राहक की पहचान करना, विश्वसनीय एवं स्वतंत्र पहचान स्रोतों का इस्तेमाल करके उसकी पहचान का सत्यापन करना, तथा जहां लागू हो, व्यावसायिक संबंध के उद्देश्य और उसकी अभिप्रेत प्रकृति से संबंधित जानकारी प्राप्त करना;
- ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति तथा उसके स्वामित्व और नियंत्रण को समझने के लिए उचित कदम उठाना;
- यह निर्धारित करना कि क्या ग्राहक किसी लाभार्थी स्वामी की ओर से कार्य कर रहा है, तथा लाभार्थी स्वामी की पहचान करना और उसकी पहचान का सत्यापन करने के लिए विश्वसनीय एवं स्वतंत्र पहचान स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए सभी आवश्यक कदम उठाना।

(vii) 'ग्राहक पहचान' से आशय CDD की प्रक्रिया को अपनाने से है।

(viii) 'नामित निदेशक' से आशय कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नामित उस व्यक्ति से है, जो PML अधिनियम तथा नियमों के अध्याय IV के अंतर्गत लगाए गए दायित्वों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है, तथा इसमें प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक भी शामिल होंगे।

(ix) 'डिजिटल KYC' से आशय उस प्रक्रिया से है, जिसमें कंपनी का अधिकृत अधिकारी, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहक की लाइव फ़ोटो तथा आधिकारिक वैध दस्तावेज़ या आधार के स्वामित्व का प्रमाण (जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता हो) को कैप्चर करता है, साथ ही उस स्थान के अक्षांश और देशांतर का विवरण भी दर्ज करता है, जहां ऐसी लाइव फ़ोटो ली जा रही हो।

(x) 'समतुल्य ई-दस्तावेज़' से आशय ऐसे दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष से है, जिसे उस दस्तावेज़ की जारी करने वाली प्राधिकृत संस्था द्वारा उसकी मान्य डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया हो; तथा इसमें सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएँ प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और अभिलेखन) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार ग्राहक के डिजिटल लॉकर अकाउंट में जारी किए गए दस्तावेज़ भी शामिल हैं।

(xi) 'अपने ग्राहक को जानें (KYC) पहचानकर्ता' से आशय उस विशिष्ट नंबर या कोड से है, जो सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR) द्वारा किसी ग्राहक को आवंटित किया जाता है।

(xii) 'नॉन-फेस-टू-फेस ग्राहक' से आशय ऐसे ग्राहकों से है, जो NBFC की शाखा / कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना या कंपनी के अधिकारियों से मिले बिना अपना अकाउंट खोलते हैं।

(xiii) 'आधिकारिक वैध दस्तावेज़ (OVD)' से आशय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, NREGA द्वारा जारी एवं राज्य सरकार के अधिकारी

द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जॉब कार्ड, तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी वह पत्र, जिसमें नाम और पता का विवरण शामिल हो, से है।

बशर्ते कि,

- जहां ग्राहक आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण OVD के रूप में प्रस्तुत करता है, वहां वह उसे उस रूप में प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया गया हो।
- जब ग्राहक ऐसा OVD प्रस्तुत करता है, जिसमें पता अपडेट किया गया नहीं है, तो नीचे दिए गए दस्तावेज़ या उनके समतुल्य ई-दस्तावेज़, केवल पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए OVD माने जाएंगे:-
 - किसी भी सेवा प्रदाता का बिल जो 2 महीने से अधिक पुराना न हो (जैसे: बिजली, लैंडलाइन टेलीफ़ोन, पोस्ट-पेड मोबाइल, पाइपड गैस या पानी का बिल);
 - संपत्ति कर या नगरपालिका कर की रसीद;
 - सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन भुगतान आदेश (PPOs), बशर्ते उनमें पता लिखा हो;
 - राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता का Aavas आवंटन पत्र, तथा ऐसे नियोक्ताओं द्वारा आधिकारिक Aavas आवंटित किए जाने से संबंधित लीव एंड लाइसेंस समझौते;
- ग्राहक, उपर्युक्त (b) में निर्दिष्ट दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, वर्तमान पते वाला OVD प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, कंपनी किसी दस्तावेज़ को OVD मानेगी, भले ही उसके जारी किए जाने के पश्चात नाम में बदलाव हुआ हो, बशर्ते कि ऐसा नाम बदलाव राज्य सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र या राजपत्र अधिसूचना द्वारा समर्थित हो, जिसमें नाम बदलाव का उल्लेख किया गया हो।

(xiv) '**ऑफ़लाइन सत्यापन**' का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय तथा अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम, 2016 (18 of 2016) ("**आधार अधिनियम**") की धारा 2 के खंड (pa) में उसे प्रदान किया गया है।

(xv) '**निरंतर उचित सावधानी**' से आशय अकाउंट्स में होने वाले लेनदेन की नियमित निगरानी से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये लेनदेन ग्राहकों, उनके व्यवसाय, जोखिम प्रोफ़ाइल, तथा निधि / संपत्ति के स्रोत के संबंध में कंपनी की जानकारी के अनुरूप हों।

(xvi) '**आवधिक अपडेट**' से आशय उन कदमों से है, जो CDD प्रक्रिया के अंतर्गत एकत्र किए गए दस्तावेज़ों, डेटा या जानकारी को अपडेट और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उठाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत RBI द्वारा निर्धारित आवृत्ति के अनुसार मौजूदा अभिलेखों की समीक्षा की जाती है।

(xvii) '**व्यक्ति**' का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में निर्धारित किया गया है, तथा इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- कोई व्यक्ति,
- कोई हिंदू अविभाजित परिवार,
- कोई कंपनी,
- व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो,
- प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपर्युक्त व्यक्तियों (a से e) में से किसी के अंतर्गत नहीं आता हो, तथा
- उपरोक्त व्यक्तियों (a से f) में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाली कोई भी एजेंसी, कार्यालय या शाखा।

(xviii) 'मुख्य अधिकारी' से आशय उस अधिकारी से है, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधन स्तर पर नियुक्त किया गया हो, और जो नियम 8 के अनुसार जानकारी प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार हो।

(xix) 'संदिग्ध लेनदेन' से आशय नीचे परिभाषित 'लेनदेन' से है, जिसमें लेन-देन का प्रयास भी शामिल है, चाहे वह नकद में किया गया हो या नहीं, जो नेक नीयती से काम करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित प्रतीत होता है:

- ऐसा उचित संदेह उत्पन्न करता है कि इसमें अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध से प्राप्त धन शामिल हो सकता है, चाहे लेनदेन का मूल्य कुछ भी हो; या
- ऐसा प्रतीत होता है कि यह असामान्य या अनुचित जटिल परिस्थितियों में किया गया है; या
- ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई आर्थिक तर्क या वास्तविक उद्देश्य नहीं है; या
- ऐसा उचित संदेह उत्पन्न करता है कि इसमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण की संभावना शामिल हो सकती है।

स्पष्टीकरण: आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण वाला लेनदेन उस लेनदेन को शामिल करता है, जिसमें NBFC को संदेह हो कि यह निधि आतंकवाद, आतंकवादी कृत्यों, किसी आतंकवादी, आतंकवादी संगठन या उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाएगी या की जा रही है, जो आतंकवाद को वित्तपोषित करते हैं या उसके लिए प्रयासरत हैं। (xix) 'लेनदेन' से आशय खरीद, बिक्री, ऋण, गिरवी, उपहार, स्थानांतरण, वितरण या उनके प्रबंध से है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(xx) 'वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP)': एक वैकल्पिक विधि जिसके माध्यम से कंपनी का अधिकृत अधिकारी चेहरे की पहचान और ग्राहक उचित सावधानी के साथ ग्राहक की पहचान करता है। इस प्रक्रिया में ग्राहक के साथ एक सहज, सुरक्षित, लाइव और सूचित-सहमति पर आधारित ऑडियो-विजुअल बातचीत शामिल है, ताकि CDD के उद्देश्य के लिए आवश्यक पहचान संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सके, और ग्राहक द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता का स्वतंत्र सत्यापन तथा प्रक्रिया का ऑडिट ट्रेल बनाए रखकर मूल्यांकन किया जा सके।

(xxii) 'वॉक-इन ग्राहक' से आशय उस व्यक्ति से है, जिसका कंपनी के साथ अकाउंट-आधारित संबंध नहीं है, लेकिन जो कंपनी के साथ लेनदेन करता है।

3. नीति के तत्व

KYC नीति में निम्नलिखित चार प्रमुख तत्व शामिल हैं:

- ग्राहक स्वीकृति नीति
- जोखिम प्रबंधन
- ग्राहक पहचान प्रक्रियाएं (CIP); और
- लेनदेन की निगरानी

4. ग्राहक स्वीकृति नीति

ग्राहक स्वीकृति नीति में शामिल होने वाले सामान्य हिस्से की संपूर्णता को प्रभावित किए बिना, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि:

- किसी भी अकाउंट को गुमनाम या काल्पनिक/बेनामी नाम पर नहीं खोला जाए;
- किसी भी अकाउंट को नहीं खोला जाए, जहां कंपनी उचित ग्राहक उचित सावधानी (CDD) उपाय लागू करने में असमर्थ हो, चाहे वह ग्राहक के सहयोग की कमी के कारण हो या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़/जानकारी

- की विश्वसनीयता न होने के कारण। कंपनी उस स्थिति में आवश्यक होने पर STR दाखिल करने पर विचार करेगी, जब वह ग्राहक के संबंध में संबंधित CDD उपायों का पालन करने में असमर्थ हो।
- (iii) किसी भी लेनदेन या अकाउंट-आधारित संबंध को CDD प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं किया जाएगा।
 - (iv) ग्राहक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का वयस्क (अर्थात् 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का) होना अनिवार्य है और भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार किसी अनुबंध में प्रवेश करने में अक्षम नहीं होना चाहिए।
 - (v) ग्राहक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/लाभार्थी स्वामी का नाम/पहचान किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था से मेल नहीं खानी चाहिए, जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) / RBI / FIU-IND / या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी की गई प्रतिबंध सूचियों, नामित सूची या नामित सूचियों में शामिल हो।
 - (vi) ऋण अकाउंट खोलते समय और समय-समय पर जानकारी अपडेट करने के दौरान, KYC के उद्देश्य से मांगी जाने वाली अनिवार्य जानकारी वही होगी, जो इस नीति में निर्दिष्ट की गई है।
 - (vii) ऋण अकाउंट खुलने के बाद ग्राहक की स्पष्ट सहमति से वैकल्पिक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाती है।
 - (viii) ग्राहकों (व्यक्तिगत तथा गैर-व्यक्तिगत) के साथ नए संबंध स्थापित करते समय तथा मौजूदा ग्राहकों के लिए भी एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (UCIC) आवंटित किया जाएगा।
 - (ix) कंपनी विशिष्ट ग्राहक पहचान ग्राहक (UCIC) स्तर पर CDD प्रक्रिया लागू करेगी। अतः, अगर कंपनी का कोई मौजूदा KYC-अनुपालन करने वाला ग्राहक एक अन्य अकाउंट खोलना चाहता है या कंपनी से कोई अन्य उत्पाद या सर्विस लेना चाहता है, तो ग्राहक की पहचान के संबंध में नई CDD प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (x) संयुक्त रूप से आवेदन करते समय सभी संयुक्त ऋण अकाउंट धारकों के लिए CDD प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
 - (xi) वे परिस्थितियां, जिनमें एक ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, नीति में स्पष्ट रूप से बताई गई हैं।
 - (xii) जहां स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त की जाती है, उसे जारी करने वाले प्राधिकरण की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।
 - (xiii) जहां ग्राहक से कोई समकक्ष ई-दस्तावेज़ प्राप्त किया जाता है, वहां कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन करेगी।
 - (xiv) जहां वस्तु एवं सेवा कर (GST) का विवरण उपलब्ध है, GST नंबर को जारी करने वाले प्राधिकरण की खोज/सत्यापन सुविधा के माध्यम से किया जाएगा।
 - (xv) कंपनी या RBI द्वारा विनियमित किसी अन्य वित्तीय इकाई द्वारा धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत ग्राहक / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / लाभार्थी स्वामी या ऐसी इकाइयों से जुड़े संस्थान और व्यक्ति, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार व्यवहार किए जाएंगे।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्राहक स्वीकृति नीति को अपनाने और लागू करने के परिणामस्वरूप आम जनता को सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों को जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जिनमें दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं।

जहां कंपनी को धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह होता है, और उचित रूप से यह मानती है कि CDD प्रक्रिया करने से ग्राहक को संकेत मिल सकता है, वहां वह CDD प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगी और इसके बजाय FIU-IND के साथ एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट ("STR") दाखिल करेगी।

5. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन के लिए, कंपनी जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) ग्राहकों को HFC के मूल्यांकन और जोखिम धारणा के आधार पर कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (ii) ये सिद्धांत ग्राहक की पहचान, सामाजिक / वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, ग्राहकों के व्यवसाय और उनके स्थान से संबंधित जानकारी, ग्राहकों तथा लेन-देन दोनों को कवर करने वाला भौगोलिक जोखिम, प्रदान किए जाने वाले उत्पादों / सर्विस के प्रकार, उत्पादों / सर्विस की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिलीवरी चैनल, किए गए लेन-देन के प्रकार – नकद, चेक / मौद्रिक साधन, वायर ट्रांसफर, फ़ॉरेक्स लेन-देन आदि जैसे मापदंडों पर आधारित होंगे। ग्राहक की पहचान पर विचार करते समय, जारी करने वाले प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन या अन्य सेवाओं के माध्यम से पहचान दस्तावेजों की पुष्टि करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
- (iii) ग्राहक का जोखिम वर्गीकरण और ऐसे वर्गीकरण के विशिष्ट कारणों को गोपनीय रखा जाएगा और ग्राहक को नहीं बताया जाएगा, ताकि ग्राहक को सतर्क होने से बचाया जा सके।
- (iv) जोखिम श्रेणीकरण हेतु ग्राहकों की सांकेतिक सूची:

निम्न जोखिम (Low Risk)

1. सभी वेतनभोगी ग्राहक जिनका वेतन उनके बैंक खाते में प्राप्त होता है।
2. सभी स्व-रोज़गार वाले ग्राहक जिनकी आय प्रलेखित (Documented) है।
3. सभी वेतनभोगी/स्व-रोज़गार वाले ग्राहक जिनकी आय अनौपचारिक अथवा अप्रलेखित (Non-documented) है तथा जिनका ऋण एक्सपोज़र ₹50 लाख तक है।
4. ₹2 लाख तक के संचयी (Cumulative) नकद लेन-देन।

मध्यम जोखिम (Medium Risk)

1. सभी वेतनभोगी/स्व-रोज़गार वाले ग्राहक जिनकी आय अनौपचारिक अथवा अप्रलेखित है तथा जिनका ऋण एक्सपोज़र ₹50 लाख से अधिक तथा ₹100 लाख तक है।
2. ₹2 लाख से अधिक तथा ₹5 लाख तक के संचयी नकद लेन-देन।

उच्च जोखिम (High Risk)

1. राजनीतिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति (Politically Exposed Person – PEP)।
2. अनिवासी भारतीय (NRI) को दिए गए ऋण।
3. गैर-आमने-सामने (Non Face-to-Face) माध्यम से ऑनबोर्ड किए गए ग्राहक।
4. ऐसे ग्राहक जिनका नाम किसी भी समय प्रतिबंध (Sanction) अथवा निगरानी (Watch) सूची में पाया गया हो।
5. ऐसे ग्राहक जिनकी रिपोर्ट कभी भी **FIU-IND** को की गई हो।
6. ट्रस्ट, सोसायटी, गैर-सरकारी संगठन (NGO) तथा दान प्राप्त करने वाले संगठनों को दिए गए ऋण।
7. सभी वेतनभोगी/स्व-रोज़गार वाले ग्राहक जिनकी आय अनौपचारिक अथवा अप्रलेखित है तथा जिनका ऋण एक्सपोज़र ₹100 लाख से अधिक है।

8. ₹5 लाख से अधिक के संचयी नकद लेन-देन।

बशर्ते कि ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों से अनुमानित जोखिम से संबंधित एकत्र की गई अन्य विभिन्न जानकारी गैर-हस्तक्षेपकारी हो तथा वही इस नीति में निर्दिष्ट हो।

कंपनी अपने जोखिम मूल्यांकन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के सार्वजनिक बयानों, इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) द्वारा जारी KYC/AML पर रिपोर्ट और मार्गदर्शन नोटों, तथा अन्य एजेंसियों आदि का इस्तेमाल कर सकती है।

5A. कंपनी द्वारा धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन:

- (i) कंपनी समय-समय पर (कम से कम वार्षिक रूप से) 'धन शोधन (ML) और आतंकवादी वित्तपोषण (TF) जोखिम मूल्यांकन' अभ्यास करेगी, ताकि ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सर्विस, लेन-देन या डिलीवरी चैनलों आदि के लिए अपने धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और प्रभावी उपाय करके उसे कम किया जा सके।
- (ii) मूल्यांकन प्रक्रिया समग्र जोखिम स्तर और लागू किए जाने वाले उपयुक्त शमन के स्तर और प्रकार को निर्धारित करने से पहले सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों पर विचार करेगी। आंतरिक जोखिम मूल्यांकन तैयार करते समय, कंपनी उन समग्र क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों पर ध्यान देगी, अगर कोई हों, जिन्हें नियामक/पर्यवेक्षक समय-समय पर कंपनी के साथ साझा कर सकते हैं।
- (iii) जोखिम मूल्यांकन को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा, और यह कंपनी की प्रकृति, आकार, भौगोलिक उपस्थिति, गतिविधियों/संरचना की जटिलता आदि के अनुपात में होगा।
- (iv) इस अभ्यास के परिणाम को निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यह सक्षम प्राधिकरणों तथा स्व-नियामक निकायों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
- (v) कंपनी इस नीति के अनुरूप पहचाने गए जोखिम के शमन और प्रबंधन के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (RBA) अपनाएगी। कंपनी पहचाने गए ML/TF जोखिमों जिनकी पहचान (स्वयं कंपनी द्वारा) की गई है और व्यवसाय के आकार को ध्यान में रखते हुए, पहचाने गए जोखिम के शमन और प्रबंधन के लिए एक CDD कार्यक्रम लागू करेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी नियंत्रणों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और आवश्यकता होने पर उन्हें सुदृढ़ करेगी।

6. ग्राहक पहचान प्रक्रिया (CIP)

कंपनी निम्नलिखित मामलों में ग्राहकों की पहचान करेगी:

- (i) ग्राहक के साथ अकाउंट-आधारित संबंध की शुरुआत पर।
 - (ii) जब कंपनी को प्राप्त ग्राहक पहचान डेटा की प्रामाणिकता या पर्याप्तता पर संदेह हो।
- अकाउंट-आधारित संबंध की शुरुआत के समय ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से, कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीसरे पक्ष द्वारा की गई CDD पर भरोसा कर सकती है:
- (i) कंपनी तुरंत तीसरे पक्ष द्वारा की गई ग्राहक उचित सावधानी के अभिलेख या जानकारी, या तो तीसरे पक्ष से या CKYCR अभिलेख से प्राप्त करेगी।

- (ii) कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी कि ग्राहक की पहचान के डेटा की प्रतियां और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़, जो ग्राहक की उचित सावधानी की शर्तों से संबंधित हैं, अनुरोध करने पर तीसरे पक्ष द्वारा बिना किसी देरी के उपलब्ध कराए जाएं।
- (iii) वह तीसरा पक्ष विनियमित, पर्यवेक्षित या निगरानी में होना चाहिए, और उसके पास PML अधिनियम के तहत शर्तों और दायित्वों के अनुरूप ग्राहक की उचित सावधानी (CDD) और अभिलेख रखने की शर्तों के अनुपालन के उपाय होने चाहिए।
- (iv) वह तीसरा पक्ष किसी ऐसे देश या अधिकार क्षेत्र में स्थित नहीं होना चाहिए जिसे उच्च जोखिम के रूप में आंका गया हो।
- (v) कंपनी अंततः CDD और लागू होने पर उन्नत उचित सावधानी उपायों को अपनाने के लिए ज़िम्मेदार होगी।

तीसरे पक्ष के माध्यम से ग्राहक की पहचान करते समय, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि KYC मानकों के अनुपालन का निर्धारण करने वाले निर्णयात्मक कार्यों को आउटसोर्स न किया जाए।

6A. ग्राहक उचित सावधानी (CDD) प्रक्रिया

भाग- I: व्यक्तियों के मामले में CDD प्रक्रिया

कंपनी, CIP करते समय या उस व्यक्ति से व्यवहार करते समय जो किसी कानूनी इकाई से संबंधित लाभार्थी स्वामी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या वकालतनामा धारक हो, निम्नलिखित प्राप्त करेगी:

- (i) आधार नंबर जहां,
 - a) वे आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिसूचित किसी योजना के अंतर्गत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हों; या
 - b) वे स्वेच्छा से अपना आधार नंबर कंपनी को जमा करने का निर्णय लेते हों; या

बशर्ते कि, कंपनी UIDAI की e-KYC प्रमाणीकरण सुविधा का इस्तेमाल करते हुए ग्राहक की आधार नंबर का प्रमाणीकरण करेगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले में, अगर ग्राहक केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में उपलब्ध पहचान जानकारी के अनुसार पते से भिन्न वर्तमान पता प्रदान करना चाहता है, तो वह इस संबंध में एक स्व-घोषणा दे सकता है।

- (ii) आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन किया जा सकता है; या

बशर्ते कि, कंपनी ऐसा ऑफ़लाइन सत्यापन अनिवार्य रूप से करेगी।

- (iii) आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है या कोई OVD या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ जिसमें उसकी पहचान और पते का विवरण हो; या

बशर्ते कि, अगर ग्राहक किसी OVD का समकक्ष ई-दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है, तो कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा उसके अंतर्गत जारी किसी भी नियमों के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन करेगी और डिजिटल KYC प्रक्रिया तथा उसके नियमों और विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार एक लाइव फ़ोटो लेगी, जो **अनुलग्नक-A** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि, अगर ग्राहक कोई OVD या आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करता है, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी डिजिटल KYC प्रक्रिया तथा उसके नियमों और विनियमों के माध्यम से सत्यापन करेगी, जो **अनुलग्नक-A** के अंतर्गत में दिया गया है।

- (iv) CKYCR से अभिलेख डाउनलोड करने हेतु स्पष्ट सहमति के साथ KYC पहचानकर्ता; बशर्ते कि कंपनी, CKYCR के साथ KYC जानकारी साझा करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार CKYCR से ऑनलाइन KYC अभिलेख प्राप्त करेगी।
और
- (v) PAN या उसका समकक्ष ई-दस्तावेज़ या आयकर नियम, 2026 में परिभाषित फ़ॉर्म नंबर 97; और
- (vi) ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति और वित्तीय स्थिति के संबंध में अन्य ऐसे दस्तावेज़, या उनके समकक्ष ई-दस्तावेज़, जो कंपनी द्वारा अपनी क्रेडिट नीति के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।

बशर्ते कि, REs की किसी श्रेणी के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तिथि से आगे की अवधि तक नहीं, डिजिटल KYC करने के बजाय कंपनी आधार नंबर के स्वामित्व के प्रमाण या OVD की प्रमाणित प्रति तथा एक हालिया फ़ोटोग्राफ प्राप्त कर सकती है, जहां समकक्ष ई-दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि, अगर आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचित किसी योजना के तहत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए चोट, बीमारी या वृद्धावस्था के कारण कमजोरी अथवा अन्य समान कारणों से e-KYC प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी आधार नंबर प्राप्त करने के अतिरिक्त, पहचान प्रक्रिया को प्राथमिकता से ऑफ़लाइन सत्यापन करके या वैकल्पिक रूप से ग्राहक से किसी अन्य OVD या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके पूरी करेगी। इस प्रकार किया गया CDD अनिवार्य रूप से कंपनी के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा और ऐसी अपवाद हैंडलिंग आंतरिक ऑडिट का भी हिस्सा होगी। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अपवाद हैंडलिंग के मामलों को एक केंद्रीकृत अपवाद डेटाबेस में विधिवत अभिलेखित किया जाए। इस डेटाबेस में अपवाद प्रदान करने के आधार का विवरण, ग्राहक का विवरण, अपवाद को अधिकृत करने वाले नामित अधिकारी का नाम तथा अतिरिक्त विवरण, अगर कोई हो, शामिल होंगे। इस डेटाबेस का समय-समय पर आंतरिक ऑडिट / निरीक्षण किया जाएगा और यह पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए उपलब्ध रहेगा।

ग्राहक पहचान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, समय-समय पर RBI मास्टर डायरेक्शन के अंतर्गत निर्धारित V-CIP प्रक्रिया भी, अगर उपयुक्त समझा जाए, लागू की जा सकती है।

स्पष्टीकरण 1: जब ग्राहक आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक, जहां आधार नंबर के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है, वहां अपने आधार नंबर को उचित माध्यमों द्वारा छिपाए या ब्लैक आउट करे।

स्पष्टीकरण 2: कंपनी बायोमेट्रिक आधारित ई-KYC प्रमाणीकरण, जिसमें आधार फेस प्रमाणीकरण भी शामिल है, कर सकती है।

स्पष्टीकरण 3: आधार, आधार नंबर के स्वामित्व का प्रमाण आदि का इस्तेमाल आधार अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 4: KYC के उद्देश्यों के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अगर ग्राहक आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत किसी भी योजना के तहत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करना चाहता है, तो ग्राहक को आधार नंबर प्रदान करना होगा। अन्य मामलों में, ग्राहक आधार नंबर स्वेच्छा से प्रदान कर सकते हैं।

कंपनी की एक शाखा द्वारा एक बार किया गया KYC सत्यापन, अकाउंट को कंपनी की किसी भी अन्य शाखा में स्थानांतरित करने के लिए मान्य होगा, बशर्ते कि कंपनी ने संबंधित अकाउंट के लिए पहले से ही पूर्ण KYC सत्यापन पूरा कर लिया हो और उसका आवधिक अपडेशन बाकी न हो।

भाग-II: एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिए CDD उपाय

किसी एकल स्वामित्व वाली फर्म के नाम पर अकाउंट खोलने के लिए, कंपनी को उस व्यक्ति (स्वामी) की CDD करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, एकल स्वामित्व वाली फर्म के नाम पर व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किसी भी दो दस्तावेज़ भी प्राप्त किए जाने चाहिए:

- पंजीकरण प्रमाणपत्र, जिसमें सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (URC) शामिल हो।
- दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस।
- विक्रय और आयकर रिटर्न।
- CST/VAT/GST प्रमाणपत्र।
- विक्रय कर/सेवा कर/पेशेवर कर प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज़।
- IEC (आयात-निर्यात आचरण), जो DGFT कार्यालय द्वारा एकल स्वामित्व वाली फर्म को जारी किया गया हो / किसी भी वैधानिक अधिनियम के तहत निगमित किसी पेशेवर निकाय द्वारा एकल स्वामित्व वाली फर्म के नाम जारी लाइसेंस/प्रेक्टिस प्रमाणपत्र।
- पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) उस एकल स्वामी के नाम पर, जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो, और जिसे आयकर प्राधिकरणों द्वारा विधिवत प्रमाणीकरण/स्वीकृति प्राप्त हो।
- यूटिलिटी बिल, जैसे कि बिजली, जल और लैंडलाइन टेलीफोन बिल।

ऐसे मामलों में, जहां कंपनी यह सुनिश्चित कर ले कि दो ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो कंपनी अपने विवेक के अनुसार केवल एक दस्तावेज़ को व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकती है।

बशर्ते कि कंपनी संपर्क बिंदु सत्यापन करे और ऐसी अन्य जानकारी एवं स्पष्टीकरण एकत्र करे, जो उस फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक हों, तथा यह पुष्टि और सुनिश्चित करे कि व्यवसाय गतिविधि को एकल स्वामित्व वाले फर्म के पते से सत्यापित किया गया है।

भाग-III: कानूनी संस्थाओं के लिए CDD उपाय

- किसी कंपनी का अकाउंट खोलने के लिए, कंपनी को निम्नलिखित प्रत्येक दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी:
 - संस्थापन प्रमाणपत्र;
 - एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख;
 - कंपनी का PAN;

- d) निदेशक मंडल का प्रस्ताव और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को उसके पक्ष में लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा;
 - e) कंपनी की ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकारपत्र रखने वाले लाभार्थी स्वामी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी, जो भी प्रासंगिक हो, के संबंध में CDD प्रक्रिया के लिए व्यक्तियों के मामले में आवश्यक दस्तावेज़
 - f) वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर नियुक्त संबंधित व्यक्तियों के नाम;
 - g) पंजीकृत कार्यालय और इसका प्रमुख व्यवसायिक स्थान, अगर ये अलग हों।
- (ii) किसी साझेदारी फर्म का अकाउंट खोलने के लिए, कंपनी को निम्नलिखित प्रत्येक दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी:
- a) पंजीयन प्रमाण-पत्र;
 - b) साझेदारी विलेख;
 - c) साझेदारी फर्म का PAN;
 - d) व्यक्तियों के मामले में CDD प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज़, लाभकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखना;
 - e) सभी साझेदारों के नाम;
 - f) पंजीकृत कार्यालय का पता, और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान, अगर वह भिन्न हो।
- (iii) किसी ट्रस्ट का खाता खोलने के लिए, कंपनी को निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी:
- a) पंजीयन प्रमाण-पत्र;
 - b) ट्रस्ट विलेख;
 - c) ट्रस्ट का PAN या फॉर्म नंबर 97;
 - d) व्यक्तियों के मामले में CDD प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज़, लाभकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखना
 - e) लाभार्थियों, ट्रस्टियों, सेटलर, संरक्षक, अगर कोई हो, और ट्रस्ट के लेखकों के नाम
 - f) ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय का पता; और
 - g) ट्रस्टी के रूप में भूमिका निभाने वाले और ट्रस्ट की ओर से लेन-देन करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के मामले में CDD प्रक्रिया के लिए आवश्यक ट्रस्टियों और दस्तावेज़ों की सूची।
 - h) अगर कोई ग्राहक गैर-लाभकारी संगठन है, तो उसे नीति आयोग के DARPAN पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। अगर यह पंजीकृत नहीं है, तो कंपनी DARPAN पोर्टल पर विवरण पंजीकृत करेगी।
- (iv) किसी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय का खाता खोलने के लिए, कंपनी निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगी:
- a) ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प;
 - b) अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय का PAN या फॉर्म नंबर 97;
 - c) इसकी ओर से लेन-देन करने के लिए दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी;
 - d) व्यक्तियों के मामले में CDD प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज़, लाभकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखना
 - e) ऐसी जानकारी जो कंपनी को ऐसे किसी संघ या व्यक्तियों के निकाय के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकती है।

स्पष्टीकरण: अपंजीकृत ट्रस्ट/साझेदारी फर्मों को 'अनिगमित संघ' शब्द के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और 'व्यक्तियों के निकाय' शब्द में समाज शामिल हैं

- (v) न्यायिक व्यक्तियों (विशेष रूप से पहले भाग में शामिल नहीं) जैसे सोसायटी, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत आदि के खाते खोलने के लिए, या जो ऐसे न्यायिक व्यक्ति या व्यक्ति या ट्रस्ट की ओर से कार्य करने का इरादा रखते हैं, कंपनी को निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी:
- इकाई की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाला दस्तावेज़;
 - व्यक्तियों के मामले में CDD प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज़, उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए वकील रखने वाले व्यक्ति के और
 - ऐसे दस्तावेज़ जो कंपनी को ऐसी इकाई/न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

लाभार्थी स्वामी के लिए भाग-IV CDD उपाय

किसी कानूनी व्यक्ति का खाता खोलने के लिए, जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, लाभार्थी स्वामी की पहचान की जाएगी और उसकी पहचान को सत्यापित करने के लिए नियमों के नियम 9(3) के संदर्भ में सभी उचित कदम निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उठाए जाएंगे:

- जहां ग्राहक या नियंत्रित हित का स्वामी है:
 - भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक इकाई, या
 - यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यायक्षेत्रों में रहने वाली और ऐसे न्यायक्षेत्रों में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध एक इकाई है, या
 - यह ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनी है; ऐसी संस्थाओं के किसी भी शेयरधारक या लाभार्थी स्वामी की पहचान और सत्यापन करना आवश्यक नहीं है।
- ट्रस्ट/नामांकित या प्रत्ययी खातों के मामलों में, यह निर्धारित किया जाता है कि ग्राहक ट्रस्टी/नामांकित या किसी अन्य मध्यस्थ के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है या नहीं। ऐसे मामलों में, मध्यस्थों और उन व्यक्तियों की पहचान का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त किया जाएगा जिनकी ओर से वे कार्य कर रहे हैं, साथ ही ट्रस्ट की प्रकृति या अन्य व्यवस्थाओं का विवरण भी प्राप्त किया जाएगा।

7. लेन-देन की निगरानी

7A. चल रहे उचित परिश्रम उपाय

कंपनी ग्राहकों की निरंतर उचित सावधानी करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लेनदेन ग्राहकों, उनके व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल, तथा निधि/संपत्ति के स्रोत के बारे में कंपनी की जानकारी के अनुरूप हों।

नज़दीकी निगरानी की आवश्यकता वाले कारकों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन की आवश्यक रूप से निगरानी की जाएगी:

- RTGS लेन-देन सहित बड़े और जटिल लेनदेन, और असामान्य पैटर्न वाले, ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के साथ असंगत, जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक औचित्य या वैध उद्देश्य नहीं है।
- ऐसे लेन-देन जो विशिष्ट श्रेणियों के खातों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक हों।

चल रहे उचित परिश्रम के लिए, कंपनी प्रभावी निगरानी का समर्थन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (AI और ML) प्रौद्योगिकियों सहित उचित नवाचारों को अपनाने पर विचार कर सकती है। निगरानी की सीमा ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुरूप होगी।

छह महीने में कम से कम एक बार खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी और बढ़े हुए उचित परिश्रम उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी। उच्च जोखिम वाले खातों की अधिक गहन निगरानी की जानी चाहिए।

7B. वित्तीय खुफिया इकाई - भारत (FIU-IND) को रिपोर्टिंग

कंपनी PML अधिनियम और PML नियमों के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करेगी, और निदेशक, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) को नियम 3 के तहत निर्दिष्ट लेनदेन से संबंधित सभी जानकारी, नियम 7 के अनुसार और समय-समय पर FIU-IND द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

कंपनी निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूपों, रिपोर्टिंग प्रारूप दिशानिर्देशों का पालन करेगी, और नकद लेनदेन रिपोर्ट (CTR), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) और नकली मुद्रा रिपोर्ट (CCR) को समय पर दाखिल करने के लिए FIU-IND द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट जनरेशन उपयोगिता और रिपोर्ट सत्यापन उपयोगिता या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपयोगिताओं का इस्तेमाल करेगी।

प्रधान अधिकारी गैर-कम्प्यूटरीकृत शाखाओं, अगर कोई हो, सहित लेन-देन डेटा के संग्रह और इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। निर्धारित समय सीमा से परे गलत तरीके से बताए गए लेन-देन की रिपोर्टिंग या सुधार में किसी भी देरी को देरी के प्रत्येक दिन के लिए एक अलग उल्लंघन माना जाएगा। STR दाखिल करने से ग्राहक खाता संचालन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। कंपनी, उसके निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी लागू निर्देशों के तहत अनुमति के अनुसार असामान्य या संदिग्ध लेनदेन के विश्लेषण के आंतरिक साझाकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, FIU-IND को अभिलेखों के रखरखाव और प्रस्तुत करने के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेंगे।

कंपनी नीचे दिए गए पैरा 7C और 7D के अनुसार मंजूरी सूची में किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते अकाउंट का विवरण FIU-IND को भी रिपोर्ट करेगी।

7C. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (UAPA) अधिनियम, 1967 के तहत दायित्व

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (UAPA) अधिनियम, 1967 और उसके संशोधनों की धारा 51A के अनुसार, उसके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर प्रसारित की जाने वाली, आतंकवादी संबंधों के संदिग्ध व्यक्तियों और संस्थाओं की सूचियों, अर्थात् 'ISIL (Da'esh) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची' और 'तालिबान प्रतिबंध सूची (1988 प्रतिबंध सूची)' में शामिल व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई खाता न हो।

कंपनी समय-समय पर संशोधित आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध सूचियों का उल्लेख करना भी सुनिश्चित करेगी। कंपनी उपर्युक्त सूचियों, अर्थात् UNSC प्रतिबंध सूचियों और आतंकवाद की रोकथाम एवं दमन (सुरक्षा परिषद प्रस्तावों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में समय-समय पर संशोधित सूचियों का दैनिक आधार पर सत्यापन करेगी, और सूचियों में परिवर्धन,

विलोपन या अन्य बदलावों के संदर्भ में किसी भी संशोधन को कंपनी द्वारा सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

UAPA अधिसूचना के तहत आवश्यक गृह मंत्रालय को सलाह देने के अलावा सूची में किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते खातों का विवरण FIU-IND को सूचित किया जाएगा।

7D. सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 (WMD अधिनियम, 2005) के तहत दायित्व

कंपनी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जनवरी, 2023 के आदेश के तहत WMD अधिनियम, 2005 की धारा 12 A के संदर्भ में निर्धारित "सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12 A के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगर व्यक्ति/संस्था का विवरण निर्दिष्ट सूची में दिए गए विवरण से मेल खाता है तो लेनदेन न किया जाए।

ग्राहकों को ऑनबोर्डिंग पर और FIU-इंडिया द्वारा जारी निर्दिष्ट सूचियों, लागू अन्य UNSCR और UAPA, 1967 के तहत प्रासंगिक शेड्यूल के अनुसार निरंतर आधार पर जांच की जाएगी, और जहां मिलान की पहचान की जाती है वहां कोई लेनदेन नहीं किया जाएगा।

किसी मिलान की स्थिति में या जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि निधि या संपत्ति WMD अधिनियम की धारा 12A के दायरे में आती है, कंपनी तुरंत लेनदेन पर रोक लगाएगी, इसका पूरा विवरण केंद्रीय नोडल अधिकारी (निदेशक, FIU-IND) को रिपोर्ट करेगी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति को फ्रीज करने या अनफ्रीज करने से संबंधित सभी निर्देशों का तुरंत पालन करेगी।

कंपनी हर दिन 'UNSCR 1718 नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रतिबंध सूची' का सत्यापन करेगी, ताकि सूची में किसी भी संशोधन को ध्यान में रखा जा सके और समय-समय पर संशोधित 'डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑर्डर, 2017 पर सुरक्षा परिषद के संकल्प के कार्यान्वयन' का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके।

KYC का अपडेट/आवधिक अपडेशन

KYC की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से, कंपनी KYC के आवधिक अपडेशन के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि CDD के तहत एकत्र की गई जानकारी या डेटा को अपडेट और प्रासंगिक रखा जाएगा, खासकर जहां उच्च जोखिम है।

कंपनी खाते को खोलने की तारीख/पिछले KYC अपडेशन की तारीख से, नीचे दिए गए ग्रीड के अनुसार और निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए KYC का आवधिक अपडेशन करेगी:

जोखिम श्रेणी	KYC का आवधिक अपडेट
उच्च	2 साल
मध्यम	8 साल
कम	10 साल

(i) **व्यक्ति:**

KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं: ऐसे मामले में, कंपनी Aavas ऋण ऐप के माध्यम से या कंपनी के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके Aavas वेबसाइट पर ऋण खाते में लॉग इन करके ग्राहक से इस संबंध में एक स्व-घोषणा प्राप्त करेगी।

पते या KYC जानकारी में बदलाव: ऐसे मामले में, कंपनी पते के प्रमाण के लिए अपडेट/आवधिक अपडेशन के समय ग्राहक द्वारा घोषित OVD, डीमड OVD या उसके समकक्ष ई-दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त करेगी। ग्राहक व्यक्तिगत रूप से कंपनी की किसी भी शाखा में जाकर OVD की एक प्रति जमा कर सकते हैं।

कंपनी अपडेशन/आवधिक अपडेशन के लिए आधार OTP आधारित ई-KYC का इस्तेमाल गैर-आमने-सामने मोड में भी कर सकती है। वर्तमान पते की घोषणा, अगर वर्तमान पता आधार के पते से भिन्न है, तो इस मामले में सकारात्मक पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी धोखाधड़ी को रोकने के लिए कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि आधार प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर वही हो जो ग्राहक की प्रोफाइल में उपलब्ध है।

(ii) व्यक्तियों के अलावा अन्य ग्राहक:

KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं: ऐसे मामले में, कंपनी Aavas ऋण ऐप के माध्यम से या कंपनी के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल id का इस्तेमाल करके Aavas वेबसाइट पर ऋण खाते में लॉग इन करके ग्राहक से इस संबंध में एक स्व-घोषणा प्राप्त करेगी। इसके अलावा, कंपनी इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करेगी कि उनके पास उपलब्ध लाभार्थी स्वामित्व की जानकारी सटीक है और अगर आवश्यक हो, तो इसे यथासंभव अपडेट बनाए रखने के लिए इसे अपडेट किया जाएगा।

KYC जानकारी में बदलाव: ऐसे मामले में, कंपनी नए ग्राहक को शामिल करने के लिए लागू KYC प्रक्रिया के बराबर प्रक्रिया अपनाएगी।

(iii) अतिरिक्त उपाय: उपरोक्त के अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि:

- वर्तमान CDD मानकों के अनुसार ग्राहक के KYC दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा, अगर कंपनी के पास उपलब्ध CDD दस्तावेजों की वैधता KYC के आवधिक अपडेशन के समय समाप्त हो गई है, तो कंपनी नए ग्राहक को शामिल करने के लिए लागू KYC प्रक्रिया के बराबर प्रक्रिया अपनाएगी।
- अगर उपलब्ध हो तो कंपनी जारीकर्ता प्राधिकारी के डेटाबेस से ग्राहक के PAN विवरण को सत्यापित करेगी।
- अपडेशन/आवधिक अपडेशन के लिए ग्राहक से स्व-घोषणा सहित संबंधित दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्राप्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए ग्राहक को पावती प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि KYC के अपडेशन/आवधिक अपडेशन के समय ग्राहकों से प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों को कंपनी के अभिलेख/डेटाबेस में तुरंत अपडेट किया जाए और ग्राहक को KYC विवरण के अपडेशन की तारीख का उल्लेख करते हुए एक सूचना प्रदान की जाए।
- KYC के अपडेशन/आवधिक अपडेशन की सुविधा सभी शाखाओं में उपलब्ध है।
- कंपनी ग्राहकों को सूचित करेगी कि PML नियमों का अनुपालन करने के लिए, व्यावसायिक संबंध/खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय और उसके बाद, आवश्यकतानुसार, ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अपडेट जानकारी होने पर, ग्राहकों को कंपनी के अभिलेख को अपडेट करने के उद्देश्य से ऐसे दस्तावेजों की अपडेट जानकारी 30 दिनों के भीतर कंपनी को प्रस्तुत करनी होगी।
- KYC के आवधिक अपडेशन के लिए उचित सूचना (1 जनवरी, 2026 से प्रभावी)

- नियत तारीख से पहले कम से कम तीन अग्रिम सूचनाएं (1 पत्र द्वारा) और नियत तारीख के बाद कम से कम 3 अनुस्मारक (1 पत्र द्वारा) ग्राहकों को भेजे जाएंगे।
- ऐसी सूचनाएं/अनुस्मारक ऑडिट ट्रेल के लिए विधिवत दर्ज किए जाएंगे।
- सूचना / रिमाइंडर पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, KYC को अपडेट करने के लिए आसानी से समझ में आने वाले निर्देश, आवश्यकता होने पर सहायता प्राप्त करने के लिए एस्केलेशन तंत्र, तथा समय पर KYC अपडेट न करने के संभावित परिणाम शामिल हो सकते हैं।

g) KYC का आवधिक अपडेशन UCIC स्तर पर किया जाएगा।

- (iv) मौजूदा ग्राहकों के मामले में, कंपनी PAN या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ या फॉर्म नंबर 97 को, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि तक प्राप्त करेगी, अन्यथा ग्राहक द्वारा PAN या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ या फॉर्म नंबर 97 जमा करने तक कंपनी अकाउंट में संचालन को अस्थायी रूप से बंद कर देगी।

बशर्ते कि अकाउंट के संचालन को अस्थायी रूप से बंद करने से पहले, कंपनी ग्राहक को एक सुलभ नोटिस और सुने जाने का उचित अवसर देगी। इसके अतिरिक्त, आंतरिक नीति के अनुसार, उन ग्राहकों के अकाउंट के निरंतर संचालन के लिए उपयुक्त छूट दी जाएगी जो चोट, बीमारी या दुर्बलता या वृद्धावस्था के कारण या अन्य समान कारणों से PAN या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ या फॉर्म नंबर 97 प्रदान करने में असमर्थ हैं। हालांकि, ऐसे अकाउंट उन्नत निगरानी के अधीन रहेंगे।

यह भी कि अगर मौजूदा अकाउंट-आधारित संबंध वाला ग्राहक कंपनी को लिखित रूप में बताता है कि वह अपना PAN या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़ या फॉर्म नंबर 97 जमा नहीं करना चाहता, तो कंपनी अकाउंट बंद कर देगी और ग्राहक की पहचान ग्राहक पर लागू पहचान दस्तावेज़ प्राप्त करके स्थापित करने के बाद, अकाउंट से संबंधित सभी देयताओं का उचित रूप से निपटान किया जाएगा।

इस अनुभाग के उद्देश्य से, किसी अकाउंट के संबंध में “संचालन का अस्थायी रूप से बंद होना” का अर्थ है उस अकाउंट से संबंधित सभी लेन-देन या गतिविधियों का अस्थायी निलंबन, जब तक कि ग्राहक इस अनुभाग के प्रावधानों का पालन नहीं करता।

9. KYC नीति का अनुपालन:

- KYC अनुपालन के उद्देश्य से 'वरिष्ठ प्रबंधन' का अर्थ होगा:
 - KYC नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा समय-समय पर जारी KYC/ AML पर नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए चीफ क्रेडिट ऑफिसर।
 - उधारकर्ताओं के सभी KYC अभिलेख बनाए रखने के लिए संचालन प्रमुख।
- नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदारी का आवंटन।
- कंपनी अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं, जिनमें कानूनी और नियामक आवश्यकताएं शामिल हैं, के अनुपालन कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित करेगी।
- आंतरिक ऑडिटर को KYC/धन शोधन विरोधी (AML) नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन पर ऑडिट समिति को त्रैमासिक अपडेट देना होगा।

- (v) इस नीति के अनुसार KYC अनुपालन की स्थिति के बारे में ऑडिट समिति को त्रैमासिक आधार पर एक नोट के रूप में रिपोर्ट दी जाएगी।
- (vi) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि KYC मानकों के अनुपालन का निर्धारण करने वाले निर्णय लेने के कार्य आउटसोर्स न किए जाएं।

10. उन्नत उचित सावधानी प्रक्रिया (EDD)

10A. नॉन-फेस-टू-फेस ग्राहक ऑनबोर्डिंग के मामले में EDD:

नॉन-फेस-टू-फेस ऑनबोर्डिंग में वह ग्राहक ऑनबोर्डिंग शामिल होगी, जिसमें ग्राहक से शारीरिक रूप से मुलाकात किए बिना या V-CIP के माध्यम से ऑनबोर्डिंग की जाती है। नॉन-फेस-टू-फेस में डिजिटल चैनलों जैसे CKYCR, DigiLocker, समकक्ष ई-दस्तावेज़ आदि का इस्तेमाल, तथा गैर-डिजिटल माध्यम जैसे NRI's और PIO's के लिए अनुमत अतिरिक्त प्रमाणन प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित आधिकारिक वैध दस्तावेज़ (OVD) की प्रति प्राप्त करना शामिल होगा, जहां ग्राहक के साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं होता है।

नॉन-फेस-टू-फेस ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित EDD उपाय अपनाए जाएंगे।

- (i) रिमोट ऑनबोर्डिंग के लिए ग्राहक को पहला विकल्प V-CIP प्रदान किया जाएगा।
- (ii) धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से, CDD के बाद ऐसे अकाउंट्स के लिए लेन-देन OTP, लेन-देन अपडेट आदि के लिए वैकल्पिक मोबाइल नंबर लिंक नहीं किए जाएंगे। लेन-देन केवल उसी मोबाइल नंबर से अनुमत होंगे, जिसका इस्तेमाल अकाउंट खोलते समय किया गया हो।
- (iii) वर्तमान पते के प्रमाण प्राप्त करने के अतिरिक्त, कंपनी ऋण के संवितरण से पहले पते के सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, डिलीवरी आदि जैसे सकारात्मक पुष्टिकरण के माध्यम से वर्तमान पते का सत्यापन करेगी।
- (iv) ऐसे मामलों में PAN अनिवार्य होगा और उसे जारी करने वाले प्राधिकरण की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।
- (v) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे अकाउंट्स में पहला लेन-देन ग्राहक के मौजूदा KYC-अनुपालन बैंक अकाउंट से क्रेडिट के रूप में हो।
- (vi) ऐसे ग्राहकों को उच्च जोखिम श्रेणी के ग्राहकों में वर्गीकृत किया जाएगा और नॉन-फेस-टू-फेस मोड में खोले गए अकाउंट्स को तब तक उन्नत निगरानी के अंतर्गत रखा जाएगा, जब तक कि ग्राहक की पहचान फेस-टू-फेस तरीके से या V-CIP के माध्यम से सत्यापित न हो जाए।

10B. राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों (PEPs) के अकाउंट्स:

- (i) कंपनी के पास PEPs (चाहे ग्राहक के रूप में या लाभार्थी स्वामी के रूप में) के साथ संबंध स्थापित करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि सामान्य ग्राहक उचित सावधानी के अतिरिक्त:
 - a) कंपनी के पास यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियां हों कि ग्राहक या लाभार्थी स्वामी PEP है या नहीं;
 - b) निधि / संपत्ति के स्रोत की स्थापना के लिए कंपनी द्वारा उचित उपाय किए जाएं;
 - c) PEP के लिए अकाउंट खोलने की स्वीकृति वरिष्ठ प्रबंधन से प्राप्त की जाए।
 - d) ऐसे सभी अकाउंट्स को निरंतर आधार पर उन्नत निगरानी के अंतर्गत रखा जाए;
 - e) अगर किसी मौजूदा ग्राहक या किसी मौजूदा अकाउंट का लाभार्थी स्वामी बाद में PEP बन जाता है, तो व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की स्वीकृति प्राप्त की जाए;
- (ii) ये निर्देश PEP के परिवार के सदस्यों या निकट सहयोगियों पर भी लागू होंगे।

स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के उद्देश्य से, “PEPs वे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक पद सौंपे गए हैं या सौंपे जा रहे हैं, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य-स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यकारी तथा प्रमुख राजनीतिक दलों के अधिकारी शामिल हैं।”

10C. पेशेवर मध्यस्थों द्वारा खोले गए ग्राहक के अकाउंट

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि पेशेवर मध्यस्थों के माध्यम से ग्राहक के अकाउंट खोलते समय:

- (i) जब किसी एक ग्राहक की ओर से पेशेवर मध्यस्थों द्वारा ग्राहक अकाउंट खोला जाता है, तो ग्राहक की पहचान की जाएगी।
- (ii) कंपनी के पास म्यूचुअल फंड, पेंशन निधि या अन्य प्रकार की निधि जैसी संस्थाओं की ओर से पेशेवर मध्यस्थों द्वारा प्रबंधित ‘पूल’ अकाउंट रखने का विकल्प होगा।
- (iii) कंपनी ऐसे पेशेवर मध्यस्थों के अकाउंट नहीं खोलेगी जो किसी ग्राहक गोपनीयता से बंधे हों जो कि HFC को ग्राहक का विवरण बताने से रोकती हो।
- (iv) उन सभी लाभार्थी स्वामी की पहचान की जाएगी जहां मध्यस्थों द्वारा रखी गई निधि कंपनी के स्तर पर आपस में मिली हुई नहीं है और वहां सब अकाउंट मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक एक लाभार्थी स्वामी से संबंधित है या जहां ऐसी निधि HFC के स्तर पर आपस में मिली हुई है, वहां भी कंपनी असली लाभार्थी स्वामियों की तलाश करेगी।
- (v) कंपनी अपने विवेकानुसार मध्यस्थ द्वारा की गई CDD पर भरोसा कर सकती है, बशर्ते कि मध्यस्थ एक विनियमित और पर्यवेक्षित इकाई हो तथा उसके पास ग्राहकों की KYC आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए पर्याप्त सिस्टम मौजूद हों।
- (vi) ग्राहक को जानने की अंतिम ज़िम्मेदारी कंपनी की होगी।

10D. FATE सिफारिशों को लागू न करने या अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले क्षेत्राधिकार

कंपनी समय-समय पर RBI द्वारा प्रसारित FATE स्टेटमेंट और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर विचार करेगी, ताकि उन क्षेत्राधिकारों की पहचान की जा सके जो FATE सिफारिशों को लागू नहीं करते या पर्याप्त रूप से लागू नहीं करते हैं। कंपनी ऐसे क्षेत्राधिकारों से जुड़े प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों (जिसमें वित्तीय संस्थान शामिल हैं) के साथ व्यवसाय संबंधों और लेन-देन पर आंके गए जोखिम के अनुरूप उन्नत उचित सावधानी उपाय लागू करेगी और ऐसे संबंधों तथा लेन-देन पर विशेष ध्यान देगी। कंपनी इन लेन-देन की पृष्ठभूमि और उद्देश्य की जांच करेगी, अपने निष्कर्षों का लिखित अभिलेख सहायक दस्तावेजों के साथ बनाए रखेगी, और अनुरोध मिलने पर इन्हें RBI या अन्य संबंधित प्राधिकरणों को उपलब्ध कराएगी, बिना वैध व्यापार या व्यवसाय गतिविधियों को प्रतिबंधित किए।

11. अभिलेख प्रबंधन

कंपनी PML अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में ग्राहक जानकारी के रखरखाव, संरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाएगी।

- (i) कंपनी और ग्राहकों के बीच सभी लेन-देन के अभिलेख लेन-देन की तारीख से कम से कम 5 साल की अवधि तक बनाए रखे जाएंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की राशि और जिस करेंसी में यह किया गया था, लेन-देन की तारीख और लेन-देन में शामिल पक्ष शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

- (ii) खाता खोलते समय तथा व्यावसायिक संबंध के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान एवं उनके पते से संबंधित अभिलेख, तथा DARPAN पोर्टल पर पंजीकरण से संबंधित अभिलेख (यदि कोई हों) आदि का संरक्षण कंपनी की ऋण दस्तावेज अभिलेख संरक्षण नीति (Loan Document Records Retention Policy) के अनुसार किया जाएगा।

कंपनी अकाउंट जानकारी के उचित रखरखाव और संरक्षण के लिए एक सिस्टम विकसित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाएगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर या सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुरोध किए जाने पर डेटा आसानी और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। ऐसे अभिलेख कागजी या डिजिटल फॉर्मेट में रखे जा सकते हैं और अनुरोध मिलने पर सक्षम प्राधिकरणों को तुरंत उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

12. अन्य सामान्य दिशानिर्देश

(i) प्रधान अधिकारी की नियुक्ति

कंपनी के निदेशक मंडल ने 'मुख्य अनुपालन अधिकारी' को प्रधान अधिकारी के रूप में नामित किया है। प्रधान अधिकारी सभी लेन-देन की निगरानी और रिपोर्टिंग तथा कानून के तहत आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और संपर्क विवरण FIU-IND और RBI को सूचित किया जाएगा।

(ii) नामित निदेशक की नियुक्ति

कंपनी के निदेशक मंडल ने 'प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी' (MD & CEO) को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नामित निदेशक PML अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और संपर्क विवरण FIU-IND और RBI को सूचित किया जाएगा।

(iii) गोपनीयता दायित्व और जानकारी साझा करना:

- कंपनी, कंपनी और ग्राहक के बीच अनुबंधात्मक संबंध से उत्पन्न ग्राहक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगी।
- अकाउंट खोलने के उद्देश्य से ग्राहकों से एकत्र की गई जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और उसका विवरण क्रॉस सेलिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ग्राहक की स्पष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा।
- सरकार और अन्य एजेंसियों से डेटा/जानकारी के अनुरोधों पर विचार करते समय, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि मांगी जा रही जानकारी ऐसी प्रकृति की न हो जो लेन-देन की गोपनीयता से संबंधित कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करे।
- उक्त नियम के अपवाद निम्नलिखित होंगे:
 - जहां खुलासा कानून के दबाव में किया गया हो
 - जहां जनता के प्रति खुलासा करना कर्तव्य हो,
 - जहां कंपनी के हित में खुलासा आवश्यक हो और
 - जहां खुलासा ग्राहक की स्पष्ट या निहित सहमति से किया गया हो।

(iv) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का अनुपालन

कंपनी विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010, उसके नियमों तथा समय-समय पर RBI या गृह मंत्रालय द्वारा जारी किसी भी संबंधित निर्देश या संचार का अनुपालन करेगी।

(v) CDD प्रक्रिया और सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR) के साथ KYC जानकारी साझा करना

- a) कंपनी ग्राहक के KYC अभिलेख कैप्चर करेगी और ग्राहक के साथ अकाउंट-आधारित संबंध शुरू होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर, नियमों में बताए गए तरीके के अनुसार, 'व्यक्ति' और 'कानूनी इकाई' (LEs) के लिए तैयार किए गए KYC टेम्पलेट्स के अनुसार CKYCR पर अपलोड करेगी।

KYC डेटा अपलोड करने के लिए ऑपरेशनल दिशानिर्देश भारत के प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की सेंट्रल रजिस्ट्री (CERSAI) द्वारा जारी किए जाते हैं।

- b) एक बार CKYCR द्वारा KYC पहचानकर्ता जनरेट होने के बाद, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वही संबंधित व्यक्ति / कानूनी इकाई को, जैसा भी मामला हो, सूचित किया जाए।
- c) जब भी कंपनी मौजूदा ग्राहक से अतिरिक्त या अपडेटेड जानकारी प्राप्त करती है, तो वह अपडेटेड जानकारी सात दिनों के भीतर CKYCR को उपलब्ध कराएगी।
- d) अकाउंट-आधारित संबंध स्थापित करने, अपडेशन/आवधिक अपडेशन के उद्देश्य से, कंपनी ग्राहक से KYC पहचानकर्ता मांगेगी, या अगर CKYCR से उपलब्ध हो तो उसे प्राप्त करेगी और KYC पहचानकर्ता का इस्तेमाल करके CKYCR से ऑनलाइन KYC अभिलेख प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी, और ग्राहक को वही KYC अभिलेख या जानकारी या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज़ या विवरण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि –
- CKYCR के अभिलेख में मौजूद ग्राहक की जानकारी में कोई बदलाव न हो; या
 - प्राप्त KYC रिकॉर्ड या जानकारी अधूरी हो या वर्तमान लागू KYC मानदंडों के अनुसार न हो; या
 - CKYCR से डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ों की वैधता अवधि समाप्त हो गई हो; या
 - ग्राहक की पहचान या पते (वर्तमान पते सहित) को सत्यापित करने, या उन्नत उचित सावधानी करने, या ग्राहक की उपयुक्त जोखिम प्रोफ़ाइल बनाने के लिए कंपनी इसे आवश्यक समझे।

(vi) विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) और सामान्य रिपोर्टिंग मानक (CRS) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता

NBFC FATCA और CRS के तहत आयकर नियम 238, 239 और 240 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा, जिसमें रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति निर्धारित करना शामिल है। यह आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण करेगी, FEDAI संदर्भ दरों का इस्तेमाल करके रिपोर्ट करने योग्य अकाउंट की पहचान करने के लिए उचित सावधानी करेगी, एक IT फ्रेमवर्क के माध्यम से अभिलेख बनाए रखेगी, और नामित निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित ऑनलाइन रिपोर्ट (फ़ॉर्म 166 या शून्य रिपोर्ट) जमा करेगा। एक उच्च-स्तरीय निगरानी समिति अनुपालन की देखरेख करेगी, और NBFC CDBT द्वारा जारी सभी अपडेट किए गए निर्देशों, मार्गदर्शन नोटों और प्रेस विज्ञप्तियों का पालन करेगी।

(vii) अकाउंट्स का संचालन और मनी म्यूल्स

कंपनी धोखाधड़ी योजनाओं में अकाउंट्स के “मनी म्यूल्स” के रूप में इस्तेमाल को रोकने के लिए अकाउंट खोलने और लेन-देन की निगरानी हेतु सख्त प्रक्रियाओं का पालन करेगी। ऐसे अकाउंट्स की पहचान के लिए उचित सावधानी और निरंतर निगरानी की जाएगी, और संदिग्ध लेन-देन की FIU-IND को रिपोर्टिंग सहित उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(viii) नई प्रौद्योगिकियों का परिचय

कंपनी उन ML/TF जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करेगी जो नए उत्पादों के विकास और नई व्यावसायिक प्रथाओं, जिसमें नई वितरण प्रणालियां शामिल हैं, के संबंध में तथा नए व पहले से मौजूद दोनों प्रकार के उत्पादों के लिए नई या विकसित होती तकनीकों के इस्तेमाल से उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी: (a) ऐसे उत्पादों, प्रथाओं, सर्विस, प्रौद्योगिकियों के लॉन्च या इस्तेमाल से पहले ML/TF जोखिम आकलन किया जाए; और (b) उपयुक्त EDD उपायों और लेन-देन निगरानी आदि के माध्यम से जोखिमों के प्रबंधन और शमन के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

(ix) PAN का उल्लेख

आयकर नियम 159 के प्रावधानों के अनुसार, जो समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं और बैंकों पर लागू होते हैं, लेन-देन करते समय ग्राहकों का स्थायी खाता संख्या (PAN) या उसका समकक्ष ई-दस्तावेज़ प्राप्त किया जाएगा और उसका सत्यापन किया जाएगा। जिन व्यक्तियों के पास PAN या उसका समकक्ष ई-दस्तावेज़ नहीं है, उनसे फ़ॉर्म 97 प्राप्त किया जाएगा।

(x) कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारी प्रशिक्षण

- a) कंपनी पर्याप्त स्क्रीनिंग तंत्र लागू करेगी, जिसमें अपने कर्मचारी को जानें / कर्मचारी नीति शामिल होगी, जिसे कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि KYC/AML/CFT मामलों से जुड़े या उनमें तैनात कर्मचारी उच्च ईमानदारी और नैतिक मानकों वाले हों, वर्तमान KYC/AML/CFT मानकों की अच्छी समझ रखते हों, प्रभावी संचार कौशल रखते हों और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते KYC/AML/CFT परिदृश्य के साथ तालमेल रखने में सक्षम हों, साथ ही ऐसा वातावरण विकसित किया जाए जो कर्मचारियों के बीच खुला संवाद और उच्च ईमानदारी को बढ़ावा दे।
- b) निरंतर कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया जाएगा ताकि कर्मचारी सदस्य KYC/AML उपाय नीति में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हों। प्रशिक्षण का फोकस फ्रंटलाइन कर्मचारी, अनुपालन कर्मचारी और नए ग्राहकों से जुड़े कर्मचारी के लिए अलग-अलग होना चाहिए। फ्रंट डेस्क कर्मचारी को विशेष रूप से ग्राहक शिक्षा की कमी से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। में ऐसे उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए जो KYC/AML उपायों, नीतियों, नियमों और संबंधित विषयों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और पूरी तरह अनुभवी हों।

अनुलग्नक - A
डिजिटल KYC प्रक्रिया

- (i) कंपनी जहां तक संभव हो डिजिटल KYC सत्यापन प्रक्रिया के लिए एक एप्लिकेशन विकसित करेगी, जिसे ग्राहकों के KYC करने हेतु ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर उपलब्ध कराया जाएगा और KYC प्रक्रिया केवल कंपनी के इस प्रमाणित एप्लिकेशन के माध्यम से ही की जाएगी।
- (ii) कंपनी एप्लिकेशन की पहुंच को नियंत्रित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अनधिकृत व्यक्ति इसका इस्तेमाल न करें। अधिकृत अधिकारी एप्लिकेशन तक केवल लॉग इन-Id और पासवर्ड या लाइव OTP या टाइम OTP नियंत्रित तंत्र के माध्यम से ही पहुंचेंगे, जो कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- (iii) ग्राहक, KYC के उद्देश्य से, कंपनी के अधिकृत अधिकारी के स्थान पर जाएगा या इसके विपरीत। OVD की मूल प्रति ग्राहक के पास होना चाहिए।
- (iv) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक की लाइव फोटो अधिकृत अधिकारी द्वारा ली जाए और वही फोटो ग्राहक आवेदन पत्र (CAF) में शामिल की जाए। इसके अतिरिक्त, कंपनी का सिस्टम एप्लिकेशन ग्राहक की खींची गई लाइव फोटो पर एक स्पष्ट वॉटरमार्क लगाएगा, जिसमें CAF नंबर, GPS निर्देशांक, अधिकृत अधिकारी का नाम, यूनिक कर्मचारी कोड (कंपनी द्वारा आवंटित) और तारीख (DD:MM:YYYY) के साथ समय (HH:MM:SS) का विवरण दर्ज होगा।
- (v) कंपनी के एप्लिकेशन में यह फ्रीजर होना चाहिए कि वह केवल ग्राहक की लाइव फोटो ही खींचे और ग्राहक की किसी भी प्रिंटेड फोटो या वीडियो से ली गई फोटो को स्वीकार न करे। ग्राहक की लाइव फोटो कैप्चर करते समय उसके पीछे का बैकग्राउंड सफेद रंग का होना चाहिए और फोटो कैप्चर करते समय फ्रेम में कोई अन्य व्यक्ति नहीं आना चाहिए।
- (vi) इसी प्रकार, मूल OVD की लाइव फोटो या आधार के कब्जे के प्रमाण की लाइव फोटो, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता (क्षैतिज रूप से रखी हुई), ऊपर से लंबवत कैप्चर की जाएगी और ऊपर उल्लेखित अनुसार पढ़ने योग्य रूप में वॉटरमार्क किया जाएगा। मूल दस्तावेजों की लाइव फोटो कैप्चर करते समय मोबाइल डिवाइस में कोई झुकाव या तिरछापन नहीं होना चाहिए।
- (vii) ग्राहक और उसके मूल दस्तावेजों की लाइव फोटो उचित प्रकाश में कैप्चर की जानी चाहिए ताकि वे स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य और पहचानने योग्य हों।
- (viii) इसके बाद, CAF में सभी प्रविष्टियां ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और जानकारी के अनुसार भरी जाएंगी। उन दस्तावेजों में जिनमें क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोड उपलब्ध है, विवरणों को मैनुअल रूप से भरने के बजाय QR कोड को स्कैन करके अपने आप भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए, UIDAI से डाउनलोड किए गए फ़िज़िकल आधार/ई-आधार के मामले में जहां QR कोड उपलब्ध है, वहां आधार/ई-आधार पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके नाम, लिंग, जन्म तिथि और पता जैसे विवरण अपने आप भरे जा सकते हैं।
- (ix) एक बार ऊपर बताई गई प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, ग्राहक के अपने मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) संदेश भेजा जाएगा, जिसमें यह टेक्स्ट होगी कि OTP साझा करने से पहले कृपया फ़ॉर्म में भरे गए विवरणों को सत्यापित करें। OTP के सफल सत्यापन पर इसे CAF पर ग्राहक के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। हालांकि, अगर ग्राहक के पास अपना खुद का मोबाइल नंबर नहीं है, तो इस उद्देश्य के लिए उसके परिवार/रिश्तेदारों/परिचित व्यक्तियों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे CAF में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर ग्राहक के हस्ताक्षर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कंपनी को यह जांचना होगा कि ग्राहक के हस्ताक्षर में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर नहीं है।
- (x) अधिकृत अधिकारी ग्राहक और मूल दस्तावेज की लाइव फोटो कैप्चर करने के संबंध में एक घोषणा प्रदान करेगा। इस उद्देश्य के लिए, अधिकृत अधिकारी का सत्यापन वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से किया

जाएगा, जो कंपनी में रजिस्टर्ड उसके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। OTP के सफल सत्यापन पर इसे घोषणा पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। इस अधिकृत अधिकारी की घोषणा में अधिकृत अधिकारी की लाइव फ़ोटो भी कैप्चर की जाएगी।

- (xi) इन सभी गतिविधियों के बाद, एप्लिकेशन प्रक्रिया के पूरा होने और कंपनी के सक्रियण अधिकारी को सक्रियण अनुरोध जमा किए जाने के बारे में जानकारी देगा, और साथ ही इस प्रक्रिया की एक लेनदेन id या संदर्भ-id नंबर भी जनरेट करेगा। अधिकृत अधिकारी भविष्य के संदर्भ के लिए लेनदेन id/संदर्भ-id नंबर से संबंधित विवरण ग्राहक को सूचित करेगा।
- (xii) कंपनी का अधिकृत अधिकारी जांच और सत्यापन करेगा कि a) दस्तावेज़ की फ़ोटो में उपलब्ध जानकारी CAF में अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज की गई जानकारी से मेल खाती है। b) ग्राहक की लाइव फ़ोटो दस्तावेज़ में उपलब्ध फ़ोटो से मेल खाती है; और c) CAF में सभी आवश्यक विवरण, जिनमें अनिवार्य फ़ील्ड शामिल हैं, सही तरीके से भरे गए हैं। सफल सत्यापन पर, CAF पर कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो CAF का प्रिंट निकालेंगे, उपयुक्त स्थान पर ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान लेगा, फिर उसे स्कैन करके सिस्टम में अपलोड करेंगे। मूल की कागजी प्रति ग्राहक को वापस की जा सकती है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि: मार्च 10, 2012

बोर्ड द्वारा अंतिम समीक्षा/संशोधन की तिथि: 21 जुलाई, 2026

संस्करण: 1.6